

**In the Court of Additional Sessions Judge-II,  
Vaishali at Hajipur.**

**Sessions Trial No. 766/2023  
Mahnar P.S. case no.- 68/2014**

**28-05-2024**

एक मात्र अभियुक्त सत्यदेव कुमार की ओर से हाजरी दी गयी।  
वाद पुकारा गया। वाद पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। आरोप के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आरोप गठन किया गया तथा हिन्दी में सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त अपने को निर्दोष बताएँ एवं विचारण की माँग किये। **कार्यालय को निर्देश** दिया जाता है कि आरोप पत्र में नामित साक्षियों के विरुद्ध साक्ष्य हेतु सम्मन निर्गत करें। अभियोजन अपने माध्यम से भी साक्षी को प्रस्तुत करें। **कार्यालय को यह भी निर्देश** दिया जाता है कि आरोप गठित होने की सूचना पुलिस अधीक्षक, वैशाली को करे तथा आरोप पत्र में नामित साक्षियों को प्रस्तुत करने हेतु इस आदेश फलक की प्रति कार्यालय तत्काल प्रेषित करे दे ताकि निश्चित तिथियों पर उनकी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके।

दिनांक 23.07.2024 साक्ष्य हेतु

ले0

A.D.J-II